राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 340/2012/बीकानेर

मै. चाण्डक ब्रदर्स, नोखा, बीकानेर .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर,
वृत्त–बी, बीकानेर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय–सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक .....अपीलार्थी–विभाग की ओर से

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी–व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक :– 02.04.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत–बी, बीकानेर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2011 जो राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे **"प्रवेश कर अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 35(i)(a) के तहत मांग कर राशि रू 1,18,386/– ब्याज राशि रू 21,100/– व शास्ति राशि रूपये 2,000/– को विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2007–08 के आलौच्य अवधि की विवरणियॉ समयावधि में प्रस्तुत नहीं की। कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2006–07 में संदेय कर रू 1,07,624/– में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये आलौच्य अवधि की कर देयता रू 1,18,386/– का दायित्व निर्धारित किया। अपीलार्थी द्वारा माह अगस्त 07 तक रू 40,234/– कर राजकोष में जमा करवाया गया है शेष देय कर पर धारा–34 के अन्तर्गत ब्याज रू 21,100/– देय होते है, तथा विवरणियॉ समय पर प्रस्तुत न करने पर धारा–35(i)(a) के तहत शास्ति रू 2,000/– आरोपित की जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने Delay Condonation का प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि Delay होने का कारण Entry Tax के निर्णय में गलत Turnover पर

लगातार.....2

करारोपण होने की जानकारी देरी से मिलने के कारण अपील देरी से प्रस्तुत की गई एवं एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत द्वारा दिनेश पाउचेज के प्रवेश कर का आरोपण असंवैधनिक होना बताया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. अपीलार्थी द्वारा अपील दिनांक 14.09.2011 को अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील देरी से प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी ने ऐसा कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं बताया है, जिसे स्वीकार किया जा सके। अतः अपीलीय अधिकारी ने अपील अस्वीकार की है। चूंकि इस प्रकरण में वर्ष 2007–08 का प्रवेश कर का कर निर्धारण एकपक्षीय पारित किया गया है तथा अपीलीय अधिकारी ने भी अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारण अस्वीकार की है। इस प्रकार व्यवसायी को कर निर्धारण के समय तथा अपील के समय सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। नैसर्गिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में व्यवहारी को एक सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है अतः प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि व्यवसायी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर आदेश पारित करें।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.11.2011 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उपायुक्त (अपील्स) बीकानेर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे नियमानसार एवं विधिसम्मत निर्णय पुनः पारित करें।

9. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
अध्यक्ष